

वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
V. V. GIRI NATIONAL LABOUR INSTITUTE

सैक्टर-24, नौएडा - 201301 (उ. प्र.)
Sector – 24, NOIDA – 201301 (UP)

दूरभाष सं. / Tele No. 0120-2411533/34/35/38

फैक्स सं. / Fax No.0120-2411536, 2411471

वैबसाइट / Website – www.vvgnli.gov.in

सुरक्षा सेवाओं हेतु वार्षिक संविदा के लिए निविदा दस्तावेज़
Tender Form for Annual Contract for Security Services

विज्ञापन की तिथि / Date of Advertisement	- 02.09.2017
निविदा की लागत / Cost of Tender:	- Rs.2500.00
निविदा जारी करने की तिथि / Date of issue of Tender	-
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि / Last date for submission of Tender	- 22.09.2017 3.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि / Date of opening of tenders	- 22.09.2017 4.00 बजे

फर्म, जिसे निविदा प्रपत्र जारी किया गया
Tender form issued to M/s:-

जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर / Signature of Issuing Officer

**V.V. Giri National Labour Institute
Sector -24, NOIDA (U.P.)**

Tender Notice

The Institute invites sealed tenders from the experienced Security Agencies for Annual Contract for Security Services. The intended bidders may obtain tenders from the Institute on payment of Rs.2500/- (Non refundable) and submit their tender within 21 days of publication of this advertisement in the tender box kept in the reception of the Institute. For further details, visit Institute website www.vvgnli.gov.in

(H. S. Rawat)
Administrative Officer

**वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर - 24, नौएडा, उ०प्र०**

निविदा सूचना

संस्थान सिक्योरिटी सेवाओं के लिए पर्याप्त अनुभव रखने वाली एजेंसियों से वार्षिक निविदा के लिए मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है। इच्छुक बोली-दाता (बिडर) संस्थान से 2500 रुपये (अप्रतिदेय) का भुगतान कर निविदा फार्म प्राप्त करके अपनी निविदाएं इस नोटिस के प्रकाशन के 21 दिन के अंदर संस्थान के स्वागत कक्ष में रखे गये बक्से में डाल सकते हैं । विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.gov.in देखें।

(एच. एस. रावत)
प्रशासन अधिकारी

वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
V. V. GIRI NATIONAL LABOUR INSTITUTE

सैक्टर-24, नौएडा - 201301 (उ. प्र.)
Sector – 24, NOIDA – 201301 (UP)

निविदा प्रक्रिया/Tender procedure

निविदाकार द्वारा मुहरबंद निविदा निम्नलिखित जानकारी देते हुए दो भागों में, (i) तकनीकी बिड तथा (ii) वित्तीय बिड, दो अलग-अलग लिफाफों में जमा की जाएगी। The Tenderer would submit sealed tender in two parts, (i) technical bid and (ii) financial bid in two separate envelopes containing following information.

(i) तकनीकी बिड/The Technical Bid

1. निविदाकार का नाम/Name of the Tenderer
2. तकनीकी बिड हेतु बोलीदाताओं की पात्रता/Eligibility of the bidders for technical bid
कम-से-कम पाँच वर्ष का अनुभव (कृपया वैध प्रमाण संलग्न करें) / Should have minimum 5 years of experience. (Valid proof has to be attached)
3. “समान प्रकृति का कार्य” - सुरक्षा सेवाओं हेतु वार्षिक संविदा से संबंधित कार्य आदेश
“Similar Work” – Work Order related to annual contract for Security Services.
4. बोलीदाता के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पी.एफ. एवं ई.एस.आई. नंबर होने चाहिए (प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें)। Bidder should be in possession of an independent P.F. and ESIC Number allotted to them by a competent authority.(enclose attested copies)
5. ठेकेदार/एजेंसी को सभी श्रम कानूनों तथा अन्य लागू कानूनों का पालन करना चाहिए। बिड के साथ इस आशय से एक वचन-पत्र देना होगा। The contractor/agency must abide by all Labour Laws and other Laws as applicable. An undertaking to this effect must be enclosed alongwith the bid.
6. निविदा जमा करते समय यह प्रमाणपत्र देना होगा कि निविदाकार ने स्थल का दौरा कर लिया है तथा वह स्थल की स्थितियों से परिचित हो गया है। A certificate stating that the tenderer has visited the site and has fully familiarised himself with site conditions while submitting the tender.
7. तकनीकी बिड के साथ बयाना राशि के तौर पर वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के नाम देय रु. 1.70 लाख (एक लाख सत्तर हजार रुपए मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। Demand Draft of Rs. 1.70 Lakh (One Lakh Seventy Thousand Only) drawn in favour of V.V.Giri National Labour Institute, Sector-24, NOIDA, as Earnest Money shall be forwarded with the technical bid.

8. बोलीदाता को वित्त वर्ष 2016-17, 2015-16, 2014-15 के स्व-प्रमाणित लेखापरीक्षित लाभ एवं हानि खाते और तुलन पत्र जमा करने होंगे। The Bidder must submit the documentary proof in the form of Audited Profit & Loss Account and Balance Sheets duly self attested i.e. Financial Year 2016-2017, 2015-16, 2014-2015.
9. एजेंसी के पास नौएडा के आस-पास एक समान कार्य होना चाहिए। The agency should have atleast one similar work in the vicinity of NOIDA.
10. एजेंसी को अपने वर्तमान ग्राहकों की एक सूची देनी होगी। The agency should enclose a list of its present clients.
11. एजेंसी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जीएसटी नंबर, पैन नंबर से संबंधित प्रमाणपत्र जमा करना होगा। (प्रतिलिपि संलग्न करें)। The Agency has to provide a certificate with regard to GST number, PAN number issued by Competent Authority (attach photocopy)
12. एजेंसी को यह बताते हुए कि उसे किसी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/किसी अन्य संगठन द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है, एक प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा (प्रमाणपत्र संलग्न करें)। The agency should submit a certificate stating that their agency has not been blacklisted by any Govt. Deptt./PSUs/any other organizations. (enclose declaration)
13. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा पंजीकृत एजेंसियों को सूक्ष्म/लघु/मध्यम उपक्रमों के लिए अनुदानों का लाभ उठाने हेतु पंजीकरण की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी। The agencies registered with National Small Industries Corporation Limited, Govt. of India or with state govt. should submit a copy of the registration for availing the grant of benefits to MICRO/SMALL/MEDIUM Enterprises.

क्रम संख्या 1 से 13 तक के सभी दस्तावेज़ तकनीकी बिड में शामिल किए जाने चाहिए।
The Technical bid should contain all the documents required from Sl. 1 to 13 of technical bid.

लिफाफे पर सुरक्षा सेवाओं हेतु वार्षिक संविदा (तकनीकी बिड) लिखा होना चाहिए।

The envelope should be marked with Annual contract for Security Services. (Technical Bid)

(ii) वित्तीय बिड / The Financial Bid

निविदाकार को निम्नानुसार प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर देनी होगी। The tenderer should quote per head per month charges as below:

प्रभार में मजदूरी (न्यूनतम मजदूरी के अनुसार), भविष्य निधि अंशदान, ईएसआई अंशदान, वर्दी प्रभार तथा भारमुक्ति प्रभार शामिल किया जाना चाहिए। The charges should be inclusive of wages (as per minimum wages), Provident Fund Contribution, ESIC contribution, Uniform Charges and relieving charges.

दरें, निम्नलिखित विवरण देते हुए, अंकों के साथ-साथ शब्दों में दी जानी चाहिए। The rate should be quoted in figures as well as in words indicating the following details.

विवरण/Description	सुपरवाइजर/Supervisor
न्यूनतम मजदूरी (रा.रा. क्षेत्र सरकार, दिल्ली द्वारा तय वर्तमान दरों के अनुसार)/Minimum wage (as per the present rates fixed by Govt. of NCT, Delhi)	
पी.एफ./PF @ 13.36%	
ईएसआईसी/ESI @4.75%	
बोनस/Bonus @ 8.33%	
भारमुक्ति प्रभार/Relieving charges	
वर्दी प्रभार/Uniform charges	
कुल मजदूरी/Total wages	
एजेंसी प्रभार/Agency charges	
जीएसटी/GST	
कोई अन्य कर/Any other taxes	
कुल योग/Grand total	
विवरण/Description	गनमैन/Gunman
न्यूनतम मजदूरी (रा.रा. क्षेत्र सरकार, दिल्ली द्वारा तय वर्तमान दरों के अनुसार)/Minimum wage (as per the present rates fixed by Govt. of NCT, Delhi)	
पी.एफ./PF @ 13.36%	
ईएसआईसी/ESI @4.75%	
बोनस/Bonus @ 8.33%	
भारमुक्ति प्रभार/Relieving charges	
वर्दी प्रभार/Uniform charges	
कुल मजदूरी/Total wages	
एजेंसी प्रभार/Agency charges	
जीएसटी/GST	
कोई अन्य कर/Any other taxes	
कुल योग/Grand total	

विवरण/Description	गार्ड/Guard
न्यूनतम मजदूरी (रा.रा. क्षेत्र सरकार, दिल्ली द्वारा तय वर्तमान दरों के अनुसार)/Minimum wage (as per the present rates fixed by Govt. of NCT, Delhi)	
पी.एफ./PF @ 13.36%	
ईएसआईसी/ESI @4.75%	
बोनस/Bonus @ 8.33%	
भारमुक्ति प्रभार/Relieving charges	
वर्दी प्रभार/Uniform charges	
कुल मजदूरी/Total wages	
एजेंसी प्रभार/Agency charges	
जीएसटी/GST	
कोई अन्य कर/Any other taxes	
कुल योग/Grand total	

लिफाफे पर सुरक्षा सेवाओं हेतु वार्षिक संविदा (वित्तीय बिड) लिखा होना चाहिए।

The envelope should be marked with Annual Contract for Security Services. (Financial Bid)

टिप्पणी/Note : रा.रा. क्षेत्र सरकार, दिल्ली द्वारा तय दरों तथा टीडीएस एवं अन्य करों जैसी वैधानिक आवश्यकताओं से कम दी गयी दरों पर विचार नहीं किया जाएगा। Rates quoted below the minimum wages of Govt. of NCT, Delhi and statutory requirement such as TDS and any other taxes will not be considered.

निविदाओं का मूल्यांकन तकनीकी बिड में दिए गए विशिष्ट विवरणों के आधार पर किया जाएगा तथा उपयुक्त पायी गयी निविदाओं को लघु सूचीबद्ध किया जाएगा और लघु सूचीबद्ध की गयी निविदाओं के ही वित्तीय बिड खोले जाएंगे तथा उन पर विचार किया जाएगा। तकनीकी बिड के आधार पर अनुपयुक्त पायी गयी निविदाओं के वित्तीय बिड, बिना खोले ही वापस कर दिए जाएंगे। अधूरी निविदाओं को खारिज कर दिया जाएगा। The tenders would be evaluated as per detailed specifications submitted in the technical bid and tenders found suitable would be short listed and financial bid of only short listed agencies will be opened and considered. The financial bids of tenders not found suitable on the basis of technical bid, will be returned un-opened. Incomplete tender will be rejected.

वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
V. V. GIRI NATIONAL LABOUR INSTITUTE

सैक्टर-24, नौएडा - 201301 (उ. प्र.)
Sector – 24, NOIDA – 201301 (UP)

वीवीजीएनएलआई परिसर, नौएडा में सुरक्षा सेवाओं हेतु वार्षिक संविदा
ANNUAL CONTRACT FOR SECURITY SERVICES VVGNI CAMPUS, NOIDA

1. कार्य-क्षेत्र / SCOPE OF WORK

कार्य-क्षेत्र में संस्थान के 12.5 एकड़ में फैले परिसर, जिसमें प्रशासनिक खंड, सेमिनार खंड, हॉस्टल, सब-स्टेशन, आवासीय खंड और पुस्तकालय आदि हैं, की पूर्ण सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा सुपरवाइजर एवं गनमैन की चौबीसों घंटे तैनाती होगी। The scope of work shall be round the clock deployment of security Guards & Security Supervisor and Gunman at night shift for total security of Institute's Campus spread over 12.5 acres of land consisting of Administrative Block, Seminar Block, Hostel, Sub-station, Residential Block and Library etc.

2. नियम और शर्तें / TERMS & CONDITIONS

एजेंसी को निम्नलिखित विवरण के अनुसार जनशक्ति मुहैया करानी है। The agency should provide the manpower as follows:

सुपरवाइजर/Supervisors	-	02
गनमैन/Gunman	-	01
गार्ड/Guards	-	16

गार्ड, एवजी गार्ड सहित, साल के प्रत्येक दिन पालियों में चौबीसों घंटे पोस्ट पर तैनात रहेंगे। The Guards will man the posts round the clock on all days of the year for each of the three shifts, including relievers.

एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि कार्मिकों के लिए कार्य-घंटे एक दिन में 08 घंटे से अधिक न हों, तथा नियमानुसार उन्हें साप्ताहिक अवकाश एवं अन्य छुट्टियाँ दी जा रही हैं। The agency will ensure that the working hours for the personnel shall not exceed 8 hours in a day and are giving weekly off and other holidays as per law.

पूरे परिसर को चोरी, संधमारी एवं अतिक्रमण आदि के खिलाफ सुरक्षा कवरेज प्रदान करना। Providing security coverage against theft, burglars, trespassing etc. for the whole campus.

सभी आने-जाने वाले वाहनों तथा विक्रेताओं कि जांच करना और आवारा मवेशियों आदि को परिसर में आने से रोकना। Checking all incoming and outgoing vehicles and vendors and prevent stray cattle etc. in the campus.

मुहैया कराये गए कर्मचारी हमेशा उचित वर्दी में रहेंगे। The staff provided will always be in proper uniform.

मासिक मजदूरी का भुगतान संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधि के सामने किया जाएगा। Payment of monthly wages will be made in the presence of an authorized representative of the Institute.

कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सभी आवश्यक उपकरण यथा सीटी, फ्लैश लाइट, छड़ी एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण सुरक्षाकर्मियों को एजेंसी द्वारा प्रदान किए जाएंगे। बाद में, वर्दी सहित इन उपकरणों को बदलने एवं इनके रखरखाव के लिए भी एजेंसी जिम्मेदार होगी। हालांकि, रजिस्टर आदि जैसी वस्तुएँ संस्थान द्वारा प्रदान की जाएंगी। All the necessary equipments to carry out the duties like whistles, flash lights, baton and other necessary security equipments etc. to the security personnel shall be provided by the agency. Subsequent replacement and maintenance of these equipments including uniform etc. shall also be the responsibility of the agency. However, the article such as registers etc. would be provided by the Institute.

संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं की जांच कर सकते हैं। यदि, कोई कमी पायी जाती है तो संस्थान को स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होगा। संस्थान द्वारा प्राधिकृत ये अधिकारी एजेंसी द्वारा तैनात सुरक्षाकर्मियों द्वारा दी जा रही सेवाओं का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करेंगे। उनके द्वारा दिये गए निर्देशों का एजेंसी एवं सुरक्षाकर्मियों द्वारा तत्काल पालन करना होगा। The authorized official of the Institute can check the services to be provided through the security personnel on duty. If any shortcoming is observed, the Institute shall have right to ask for explanation. The Officer(s) so authorized by the Institute shall exercise supervision and control over the services being provided by the security personnel deployed by the agency. Any instructions issued by them shall be promptly attended to by the agency and security personnel.

कोई दुर्घटना घटने पर यदि गार्ड घायल होते हैं तो संस्थान तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने की कोशिश करेगा, जिसकी लागत एजेंसी से वसूली जाएगी, किन्तु ऐसी दुर्घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न किसी भी दायित्व को संस्थान अपने ऊपर नहीं लेगा। ऐसी दुर्घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न किसी भी क्षतिपूर्ति या दायित्व की जिम्मेदारी पूर्णतः एजेंसी की होगी। In case of accident leading to the injury of Guards, the Institute will try to provide immediate medical aid, the cost of which will be recovered from the agency but the Institute will not incur any liability whatsoever consequent upon such accidents. It will be the sole responsibility of the agency to pay any compensation or liability arising out of such injuries.

यदि एजेंसी की सेवाओं को संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो समझौते को एक महीने का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में भुगतान देकर समाप्त किया जा सकता है। If services of the agency is not found satisfactory. The agreement can be terminated by giving one month notice or payment in lieu thereof.

एजेंसी द्वारा प्रशासनिक खंड, पुस्तकालय खंड, हॉस्टल, आवासीय परिसर अथवा संस्थान परिसर के किसी भी क्षेत्र में चौबीसों घंटे ड्यूटी मुहैया करायी जाएगी। The agency would provide round the clock duty at Main Gate, Administrative Block, Library Block, Hostel, Residential Complex or any other area in the Institute campus.

एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संस्थान को मुहैया कराये गए गार्ड आदि शिक्षित एवं अच्छे चरित्र वाले हों तथा उन्हें कभी भी किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी न पाया गया हो, वे बिना किसी शारीरिक अथवा मानसिक विकलांगता के, शारीरिक रूप से फिट हों तथा वे 18 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष से कम आयु के हों। The agency shall ensure that Guards etc. provided to the Institute are educated, of good moral character, have never been convicted of a criminal offence by a Court of law, physically fit without any physical or mental disability and are above 18 years but less than 45 years.

चोरी, एजेंसी अथवा उसके कामगारों की लापरवाही की वजह से संस्थान को हुई हानि के लिए केवल एजेंसी जिम्मेदार होगी तथा इसे एजेंसी के मासिक बिलों से काटकर वसूला जाएगा। नुकसान की राशि एजेंसी को देय राशि से अधिक होने पर एजेंसी से अलग से वसूली जाएगी। नुकसान के आकलित मूल्य की कटौती मासिक बिलों से की जाएगी। इस संबंध में संस्थान के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय एजेंसी पर बाध्यकारी होगा। Any loss sustained by the Institute by way of theft, negligence or carelessness by the agency or their workmen solely rest with the agency and shall be deducted from the monthly bills of the agency. Any damage exceeding agency's due will be recovered from the agency separately. The assessed value of the damages shall be deducted from the monthly bills. The decision of the Competent Authority of Institute in this regard shall be final binding on the agency.

एजेंसी द्वारा तैनात किए गए गार्ड पूर्णतः केवल एजेंसी के प्रबंधन के नियंत्रणाधीन होंगे। इस तरह उनकी सेवा शर्तों आदि के लिए एजेंसी जिम्मेदार होगी। एजेंसी को उन पर लागू भारत सरकार के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार पर्याप्त मजदूरी/वेतन देना होगा। एजेंसी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि एवं ईएसआई सहित देनदारियों के निर्वहन का दायित्व लेगी। The Guards deployed by the agency shall be under the whole and sole control of the management of the agency only. As such their service conditions etc. will rest with the agency. The agency will have to pay adequate wages / salaries as per Minimum Wages Act 1948 of the Government of India as in force or enforced from time to time. The agency shall undertake to discharge all the liabilities of their employees including Provident fund & ESI.

वेतन, मजदूरी अथवा गार्डों एवं सुपरवाइजर की सेवा शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में उठे विवादों के लिए एजेंसी जिम्मेदार होगी तथा इनका हल उन्हें ही निकालना होगा। संस्थान कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 आदि के अनुसार दावों सहित, सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से उत्पन्न सभी भारों से मुक्त रहेगा। हालांकि, संस्थान रा. रा. क्षेत्र सरकार दिल्ली द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की बढ़ोतरी की प्रतिपूर्ति पर विचार कर सकता है। All disputes arising in respect of salaries, wages or any other matters connected with the service conditions of Guards and Supervisor will be agency's responsibility and has to be sorted out by them. The Institute will be free from all encumbrances whether from the Government or any other source, including claims as per Workmen Compensation Act, 1923 etc. However the Institute may consider the reimbursement of enhanced Minimum Wages as fixed by Govt. of NCT Delhi from time to time.

एजेंसी नियुक्त कर्मचारियों को पहचान-पत्र प्रदान करेगी, जिसे उन्हें इस उद्देश्य के लिए नामित वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के अधिकारियों अथवा स्टाफ द्वारा मांगे जाने पर दिखाना होगा। The agency shall provide identity cards to staff employed which will be produced on demand to officers or other staff of V.V. Giri National Labour Institute designated for the purpose.

एजेंसी द्वारा इस कार्य के लिए तैनात गार्डों की सूची, जिसमें उनकी योग्यता, अनुभव, आवासीय पता अंकित होगा, समय-समय पर सूचित करना होगा। List of guards deployed by the agency for the subject work mentioning qualifications, experience, residential address shall be informed to from time to time.

संस्थान, स्थल से किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि संस्थान की राय में उसका/उनका व्यवहार/कार्य स्तरीय नहीं है और/अथवा उन्हें गैर-कानूनी कार्यों में लिप्त पाया जाता है। एजेंसी को तुरंत इन निदेशों का पालन करना होगा। Institute reserves the right to ask the agency to remove particular person(s) from site with immediate effect if in the opinion of institute his behaviour / performance is not up to the mark and / or found indulging in unlawful activities. The agency shall immediately comply with such instructions.

संविदा में किए गए प्रावधानों के अलावा, संस्थान एवं ठेकेदार के मध्य हुए संविदा के कार्य से अथवा इसके सिलसिले में उत्पन्न सभी विवादों अथवा मतभेदों को एकमात्र मध्यस्थ, जो संस्थान के महानिदेशक होंगे, को ऐसे विवादों अथवा मतभेदों के पैदा होने के 30 दिन की अवधि के अंदर सूचित करना होगा। एकमात्र मध्यस्थ का निर्णय दोनों पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का आयोजन स्थल वीवीजीएनएलआई, नौएडा होगा। Except, the otherwise provided in the contract, all disputes or differences arising out, or in connection with the work of contract and between the contractor and the institute shall be referred to the sole arbitrator who shall be Director general of the Institute, within a period of 30 days of arising of such difference or dispute. The decision of sole arbitrator shall be final binding on the both parties of the contract. The venue of the arbitration shall be VVG NLI, NOIDA.

संविदा की अवधि शुरू में तीन माह की होगी, जिसे, एजेंसी की सेवाओं को संतोषजनक पाये जाने पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। एक वर्ष पूरा होने पर, एजेंसी की सेवाओं की समीक्षा की जाएगी, तथा एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। हालांकि, संविदा की कुल अवधि 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी। The contract period will initially be for three months which will be extended for one year if the services of the agency are found satisfactory. On completion of one year, the service of the agency will be reviewed and can be extended for one more year. However, the total period of contract will not exceed 3 years.

3. सुरक्षा गार्ड/SECURITY GUARD

सुरक्षा गार्डों के कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे। The duties of the security guards would be:

संस्थान के कर्मचारियों एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना। To ensure the safety of personnel and property of the Institute.

यह सुनिश्चित करना कि कोई भी अनधिकृत अथवा अवांछित व्यक्ति संस्थान परिसर अथवा संस्थान के किसी भवन में न घुसे। To ensure that no unauthorized or undesirable person enter into Institute's campus or any building of the Institute.

आगंतुकों, ग्राहकों तथा वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के कर्मचारियों को नमन करना तथा ईमानदारी, सुव्यवस्था एवं अनुशासन बनाए रखना और इयूटी पर उचित, निर्धारित वर्दी में रहना। सक्षम प्राधिकारी

द्वारा आबंटित कार्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना। To extend all courtesy to visitors, customers and V.V. Giri National Labour Institute employees and to maintain integrity, orderliness and discipline and be in proper, prescribed uniform while on duty. Carry out all duties and task allotted by the Competent Officer sincerely.

दिन और रात के दौरान रक्षा करना/गश्त लगाना/जांच करना, और यह सुनिश्चित करना कि उनके कार्यक्षेत्र में कोई चोरी, उठाईगिरी, अतिचार, दुर्घटना, उपद्रव, अशांति एवं अव्यवस्था की घटना न घटे। To guard / patrol / check during day and night and ensure that no theft, pilferage, trespass, accident, nuisance, disturbance and disorderliness etc. takes place in the area of his duty.

प्रवेश स्थलों पर तैनात रहना। व्यक्तियों, सामग्री, वाहनों आदि के आवागमन को नियमित करना, और सुनिश्चित करना कि गमनागमन वैध दस्तावेजों के अनुसार एवं त्वरित हो तथा आदेश के अनुसार उसका रिकॉर्ड रखना। To man entry points. Regulate and check the flow of men, materials, transport vehicles etc. and ensure that the entry/exist is as per valid documents and expeditious and record of the same is maintained as per order.

अतिचारी अथवा अनधिकृत रूप से और संदिग्ध परिस्थिति में पाये गए व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करना, सक्षम वीवीजीएनएलआई अधिकारी(अधिकारियों) के सम्मुख पेश करना। To apprehend immediately, produce before the competent VVG NLI Officer (s) the trespasser or person moving unauthorisedly and under suspicious circumstance.

अभ्यस्त अपराधियों और शरारती तत्वों पर नजर रखना, और यदि कुछ असामान्य पाया जाता है तो सक्षम वीवीजीएनएलआई अधिकारियों को सूचित करना। To watch habitual offenders and mischief makers and inform the competent VVG NLI officers, if anything unusual is noticed.

जो माल नियमानुकूल न पाया जाए अथवा जिसकी चोरी किए जाने का संदेह हो, जब्त करना, तथा सक्षम वीवीजीएनएलआई अधिकारी के संज्ञान में लाना। To seize goods not found in order or suspected to be stolen and to bring to the immediate notice of the competent VVG NLI Officer.

4. सुरक्षा सुपरवाइजर/SECURITY SUPERVISOR

सुरक्षा सुपरवाइजर के कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे। The duties of the security Supervisor would be:

- 4.1 संस्थान के कर्मचारियों एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना। To ensure of the safety of personnel & property of Institute.
- 4.2 आगंतुकों, ग्राहकों तथा वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के कर्मचारियों को नमन करना तथा ईमानदारी, सुव्यवस्था एवं अनुशासन बनाए रखना और ड्यूटी पर उचित, निर्धारित वर्दी में रहना, उचित शिष्टाचार एवं अनुशासन दिखाना, तथा संविदा के अनुसरण में एजेंसी के सक्षम अधिकारियों द्वारा आबंटित सभी कार्यों का निर्वहन करना। To extend all courtesy to visitors, customers and Institutes employees and maintain integrity, orderliness and discipline on the premises while on duty and be in a proper prescribed uniform, exhibit proper courtesy and discipline and carry out all tasks allotted by the competent officers of the agency in pursuance of the contract.

- 4.3 सुरक्षा गार्डों को ड्यूटी देना, उनके द्वारा किए गए कार्यों की नियमित तौर पर जांच एवं पर्यवेक्षण करना, तथा अच्छा व्यवहार, अनुशासन, ड्यूटी का नियमित आवर्तन, अनुशासनिक कार्रवाई को लागू करना। Detail check and supervise regularly duties performed by security guards and enforce good behaviour, discipline, rotation of duties, disciplinary action etc.
- 4.4 एजेंसी के अनुबंध के कर्तव्यों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मामलों को, अधिमानतः लिखित में, तुरंत संबंधित अधिकारी की जानकारी में लाना। Bring to the notice of the concerned officer, preferably in writing, all important matters connected with the contractual duties of the agency immediately.
- 4.5 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित स्थानीय पुलिस से संपर्क कार्यों (लाइजन ड्यूटी) का निर्वहन करना। Carry out liaison duties with the local police as required by the competent authority.
- 4.6 चोरी, आग से नुकसान, दुर्घटना आदि के मामलों में, संस्थान के सक्षम अधिकारियों द्वारा अपेक्षित आंतरिक जांच अथवा पूछताछ करना। To carry out the internal investigation or enquiry in case of theft, fire damage, accident etc. as required by the competent official of Institute.
- 4.7 संस्थान के सक्षम अधिकारियों द्वारा यथा आदेशित आवश्यक दस्तावेज़ बनाए रखना। To maintain necessary document as ordered by the competent officers of Institute.
- 4.8 समझौते की शर्तों के अधीन संस्थान के सक्षम अधिकारियों द्वारा सौंपे गए कार्यों को करना। To carry out any other duties assigned by the competent officers of Institute within the terms of agreement.

5. गनमैन@GUNMAN

गनमैन की आवश्यकता रात्रि पाली के दौरान रात 9.30 बजे से अगली सुबह 5.30 बजे तक होगी। गनमैन के कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे। The Gunman will be required during night shift from 9.30 p.m. to 5.30 a.m. The duties of Gunman would be:

- 5.1 संस्थान के कर्मचारियों एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना। To ensure the safety of personnel and property of the Institute.
- 5.2 यह सुनिश्चित करना कि कोई भी अनधिकृत अथवा अवांछित व्यक्ति संस्थान परिसर अथवा संस्थान के किसी भवन में न घुसे। To ensure that no unauthorized or undesirable person enter into Institute's campus or any building of the Institute.
- 5.3 आगंतुकों, ग्राहकों तथा वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के कर्मचारियों को नमन करना तथा ईमानदारी, सुव्यवस्था एवं अनुशासन बनाए रखना और ड्यूटी पर उचित, निर्धारित वर्दी में रहना। सक्षम प्राधिकारी द्वारा आबंटित सभी कार्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना। To extend all courtesy to visitors, customers and V.V. Giri National Labour Institute employees and

to maintain integrity, orderliness and discipline and be in proper prescribed uniform while on duty. Carry out all duties and task allotted by the Competent Officer sincerely.

- 5.4 दिन और रात के दौरान रक्षा करना/गश्त लगाना/जांच करना, और यह सुनिश्चित करना कि उनके कार्यक्षेत्र में कोई चोरी, उठाईगिरी, अतिचार, दुर्घटना, उपद्रव, अशांति एवं अव्यवस्था की घटना न घटे। To guard / patrol / check during day and night and ensure that no theft, pilferage, trespass, accident, nuisance, disturbance and disorderliness etc. takes place in the area of his duty.
- 5.5 व्यक्तियों, सामग्री, वाहनों आदि के आवागमन को नियमित करना, और सुनिश्चित करना कि गमनागमन वैध दस्तावेजों के अनुसार एवं त्वरित हो तथा आदेश के अनुसार उसका रिकॉर्ड रखना। Regulate and check the flow of men, materials, transport vehicles etc. and ensure that the entry/exist is as per valid documents and expeditious and record of the same is maintained as per order.
- 5.6 अतिचारी अथवा अनधिकृत रूप से और संदिग्ध परिस्थिति में पाये गए व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करना, सक्षम वीवीजीएनएलआई अधिकारी (अधिकारियों) के सम्मुख पेश करना। To apprehend immediately, produce before the competent VVG NLI Officer (s) the trespasser or person moving unauthorisedly and under suspicious circumstance.
- 5.7 अभ्यस्त अपराधियों और शरारती तत्वों पर नजर रखना, और यदि कुछ असामान्य पाया जाता है तो सक्षम वीवीजीएनएलआई अधिकारियों को सूचित करना। To watch habitual offenders and mischief makers and inform the competent VVG NLI officers, if anything unusual is noticed.
- 5.8 जो माल नियमानुकूल न पाया जाए अथवा जिसकी चोरी किए जाने का संदेह हो, जब्त करना, तथा सक्षम वीवीजीएनएलआई अधिकारी के संज्ञान में लाना। To seize goods not found in order or suspected to be stolen and to bring to the immediate notice of the competent VVG NLI Officer.

6. वाणिज्यिक शर्तें/COMMERICAL CONDITIONS

- 6.1 दरों के आधार/Price Basis: (i) दी गई दरें सटीक एवं आदेश के पूर्ण निष्पादन तक वैध होने चाहिए। The price quoted should be firm and valid till the complete execution of the order. No escalation on what so ever account shall be paid under this contract.
- (ii) रा. रा. क्षेत्र सरकार, दिल्ली द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, टीडीएस एवं अन्य करों जैसी सांविधिक आवश्यकताओं से कम दी गई दरों पर विचार नहीं किया जाएगा। Rates quoted below the minimum wages of Govt. of NCT Delhi, statutory requirement such as TDS and any other taxes will not be considered.
- 6.2 एजेंसियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे दरों को देने से पहले काम का पता लगाने के लिए सैक्टर-24, नौएडा स्थित वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान का दौरा करें। Agencies are

advised in their own interest to visit VVGNI located at Sector – 24, NOIDA to ascertain the work before quoting the rate.

7. स्थल/SITE

कार्य का स्थल वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर-24, नौएडा - 201301, उ. प्र. है।
The site of work is V.V. Giri National Labour Institute, Sector – 24, NOIDA – 201301, U.P.

निविदाकारों को कार्य के स्थल का दौरा करना चाहिए तथा खुद के हित में उन्हें स्थल की स्थितियों से परिचित होना चाहिए, यह किसी भी अतिरिक्त मुआवजा, अथवा अन्य किसी भी दावे के आधार के तौर पर स्वीकार्य नहीं होगा। निविदाकारों को यह बताते हुए एक प्रमाणपत्र देना होगा कि उन्होंने स्थल का दौरा किया है और स्थल की स्थितियों को देख लिया है। The tenderers must visit the site of work and see for themselves and acquaint thoroughly with all the site conditions which will not be accepted as the basis of any claim for any additional compensation, or any other claim whatsoever. The tenderer must enclose a certificate stating that he had visited the site and had taken care of all site conditions while submitting his tender.

8. संविदा अवधि/CONTRACT PERIOD

संविदा एक वर्ष के लिए होगी। तथापि, एक वर्ष बाद निष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा, और यदि निष्पादन को संतोषजनक पाया जाता है तो संविदा को अधिकतम तीन वर्ष के अध्यक्षीन एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। The contract will be for one year period. However, the performance will be evaluated after one year and if the performance is found satisfactory, the contract may be extended for another period of one year subject to maximum of three years

9. सुरक्षा जमा राशि/SECURITY DEPOSIT

एजेंसी को कुल अनुबंध मूल्य का 10 प्रतिशत अग्रिम के तौर पर जमा करना होगा। कोई चूक होने पर सुरक्षा जमा राशि को जब्त कर दिया जाएगा। The agency will have to deposit 10% of total contract value in advance. In case of default, the security will be forfeited.

10. अनुमानित लागत - लगभग रु. 34 लाख/ESTIMATED COST - Rs.34 lakh approx.

निष्पादन सुरक्षा जमा (पीएसडी) - संविदा की कुल वार्षिक राशि का 5 प्रतिशत (डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के तौर पर)/Performance Security Deposit (PSD)- 5% of total annual value of the contract (in form of Demand Draft /Bank Guarantee)

- (i) सफल बोलीदाता द्वारा पीएसडी कार्य आदेश मिलने पर तीस दिन के अंदर जमा करनी होगी। PSD will have to be deposited by the successful bidders **within 30 days** on receipt of work order.
- (ii) पीएसडी वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के नाम देय डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के तौर पर होगा (सीवीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार)। PSD shall be in the form of Demand Draft/Bank Guarantee payable to V.V. Giri National Labour Institute, Noida. (as per CVC guidelines)

- (iii) पीएसडी तीन वर्ष की अवधि अथवा एजेंसी द्वारा सभी संविदात्मक दायित्व पूरा करने तक वैध होगी। निष्पादन सुरक्षा जमा राशि मिलने पर सफल बोलीदाता को ईएमडी लौटा दी जाएगी। The PSD should remain **valid** for a period of **three years** or upto on completion of all contractual obligations by the agency. The EMD will be refunded to the successful bidder on receipt of Performance Security Deposit.
- (iv) निष्पादन सुरक्षा जमा राशि (पीएसडी) पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा Any interest will not be payable on the amount of Performance Security Deposit (PSD).

11. भुगतान/PAYMENT

एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा इस कार्य हेतु तैनात सुरक्षाकर्मियों को मजदूरी का भुगतान हर माह की सात तारीख से पहले करना होगा, तथा यह इस तथ्य के बगैर कि चाहे संस्थान ने एजेंसी को भुगतान किया हो अथवा नहीं, एवं अन्य किन्हीं कारणों से भी सुनिश्चित करना होगा। हालांकि संस्थान एजेंसी से किसी माह की मजदूरी भुगतान शीट, भविष्य निधि एवं ईएसआई के अंशदानों की रसीद सहित बिल प्राप्त होने पर उस माह के बिल का भुगतान करेगा। सरकारी नियमों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी। The agency will have to ensure the wage payment to the security personnel employed by them for this purpose before 7th of every month and this should be ensured by agency irrespective of the fact that Institute has made the payment to the agency or not and whatsoever other reasons. However the Institute will make the monthly payment to the agency after the agency submits the bill along with a copy of Wage Payment Sheet, Receipts of Provident Fund and ESIC contribution of that particular month. Tax deduction at source as per Government Rules will be applicable.

12. दंड का उपनियम/PENALTY CLAUSE

एजेंसी हमेशा गार्डों, गनमैन एवं सुपरवाइजर को पूरी संख्या में तैनात करेगी। एजेंसी द्वारा ऐसा न करने पर, हर मौके पर रु.10,000/- का जुर्माना लगाया जाएगा। संस्थान सामग्री, संपत्ति, उपस्कर आदि की क्षति होने पर भी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त पाया गया जुर्माना लगाया जाएगा। इयूटी पर कार्मिकों की संख्या कम होने पर बिल से कटौती की जाएगी। The agency will keep in position the full strength of guards, Gunman and supervisor at all times. Failing this, an amount of Rs. 10,000/- will be imposed as penalty on each occasion. The Institute will also impose suitable penalty in case of loss of material, property, equipment etc. as deemed fit by the competent authority. In case of any shortage in strength, the deductions will be made from the bill.

13. बयाना राशि/EARNEST MONEY

किसी भी निविदा, जिसके साथ वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर-24, नौएडा के नाम देय रु. 1.70 लाख का डिमांड ड्राफ्ट न भेजा गया हो, को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसे एक अलग लिफाफे में भेजा जाना चाहिए न कि निविदा वाले लिफाफे में। अन्यथा निविदा को बिना खोले ही *अस्वीकृत* लिखते हुए वापस कर दिया जाएगा। यदि निविदाकार निविदा प्राप्त करने के लिए निर्धारित तिथि के बाद दो कैलेंडर महीनों कि समाप्ति से पहले अथवा ऐसी किसी अन्य तिथि जो निविदाकार को अपनी निविदा

को आगे बढ़ाने के लिए तय की गयी हो, वापस लेता है तो निविदा को रद्द कर दिया जाएगा एवं बयाना राशि को वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। और यदि निविदा को स्वीकार कर लिया जाता है, मांगे जाने पर बॉन्ड अथवा गारंटी दी जाएगी। असफल निविदाकारों की बयाना राशि निविदा प्राप्त करने हेतु निर्धारित तिथि के तीन महीने के अंदर अथवा वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा निविदा स्वीकार किए जाने के बाद उक्त तिथि से पहले वापस कर दी जाएगी। सफल निविदाकार के मामले में बयाना राशि को सुरक्षा जमा राशि में समायोजित कर दिया जाएगा तथा यह निविदा अवधि सफलतापूर्वक पूरी किए जाने के बाद वापस देय होगी। कोई भी चूक होने पर सुरक्षा जमा राशि को जब्त कर दिया जाएगा। No tender will be considered which is not accompanied by Demand Draft of Rs.1.70 Lakh drawn in favour of V.V. Giri National Labour Institute, Sector – 24, NOIDA, as Earnest Money and shall be forwarded separately and not in the same enveloped as the Tender otherwise the tender will be returned unopened marked as “Refused”. In the event of the tenderer withdrawing his Tender before the expiration of two calendar months from the date fixed for receiving tenders or such other date as the Tenderer may be required to extend the Tender will be cancelled and the Earnest Money will be forfeited to the V.V. Giri National Labour Institute and on the understanding also that if the Tender is accepted the Bond or Guarantee would be furnished when required. The Earnest Money will be returned to unsuccessful bonafied Tenderer within three months after the due date fixed for receiving tenders or at such earlier time as a tender may have been accepted by the V.V. Giri National Labour Institute. In case of the successful Tenderer the Earnest Money will be adjusted against the Security Deposit and will be refundable after successful completion of contract period. In case of default, the security will be forfeited.

14. संस्थान का अधिकार/ Institute Reserve the Right

संस्थान न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा, तथा संस्थान बिना कोई कारण बताये, अपने विवेकाधिकार एवं सुविधा से कार्य को किसी एक को आवंटित करने अथवा एक से अधिक निविदाकारों के बीच बांटने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। निविदाकार द्वारा दी गयी दरें तब भी वैध होंगी, अगर निविदाकार को कार्य का एक भाग देने का निर्णय लिया जाता है। The Institute is not bound to accept the lowest or any tender and reserves the right to award the work to any one or divide it between more than one Tenderers at its sole discretion and convenience without assigning any reasons. The rates quoted by the Tenderers shall be valid even in case of part of the work is awarded to a Tenderer.

15. अंतिम तिथि/LAST DATE

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि **22.09.2017 3.00 बजे तक** है। निविदा एक बंद लिफाफे में वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर-24, नौएडा के प्रशासन अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए। The last date of submission of tender is **22.09.2017 by (3.00 PM)**. The tender should be submitted in a sealed cover to the Administrative Officer, V.V. Giri National Labour Institute, Sector – 24, NOIDA, (U.P.)

संविदा के विशेष नियम एवं शर्तें/Special Terms and Conditions of the Contract

1. दरों को देने से पहले निविदाकार को कार्य-क्षेत्र एवं सेवाओं की प्रकृति का पता लगाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए। Tenderer should visit the various areas to study the scope of work and nature of service before quoting against the tender.
2. कार्य-क्षेत्र में दिए गए कार्य/सेवाओं के विवरण में पर्याप्त कर्मचारियों, उपस्कर एवं सामग्री के लिए समेकित दर दी जानी चाहिए। Consolidated price should be quoted for the sufficient workmen, equipment and materials as given in the description of work/services detailed scope of work.

प्रभार की विभिन्न मदों (कामगार-कुशल और अकुशल, सुपरवाइजर, ईपीएफ, जीएसटी की देनदारियाँ, प्रशासनिक/सेवा प्रभार, कोई अन्य कर, यदि कोई हो) को दर्शाते हुए दी गई दर के ब्यौरे दिए जाने चाहिए। दरें देते समय, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की समय-समय पर यथासंशोधित विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने को ध्यान में रखा जाए। सरकार द्वारा यथा संशोधित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मजदूरी में वृद्धि/कमी, जो भी अधिक हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी। हालांकि, लाभ, प्रशासनिक प्रभार, सामग्री की लागतों आदि में वृद्धि स्वीकार्य नहीं होंगे। Break up of the quoted rate must be shown indicating various items of charge (Workmen-Skilled and Unskilled. Supervisor, EPF, GST liabilities, administrative/service charges, any other tax, if any). The legal requirements of adhering to minimum wages Act, 1948 as amended from time to time, may be kept in view while quoting the rates. Incremental increase/decrease in the Wages as per Minimum wages revised by the Govt. whichever is higher shall be reimbursed limited to incremental increase. However, no increase in Profit, Admin. Charges, material costs etc. will be admissible.

3. निविदाकार को निविदा के हर पन्ने तथा इसके अनुलग्नकों पर हस्ताक्षर करने चाहिए तथा अपनी फर्म की मुहर पर लगानी चाहिए क्योंकि उसके द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति को संविदा के रूप में माना जाएगा और अलग से कोई औपचारिक संविदा नहीं बनाई जाएगी। निविदा सूचना से कोई पन्ना और अनुलग्नक नहीं हटाया जाना चाहिए। The tenderer should sign and affix his/her firms stamps at each page of the tender and all its Annexure as the acceptance of the offer made by him/her firm will be deemed as a contract and no separate formal contract will be drawn. No page should be detached / removed from the tender Invitation and enclosures/Annexures.
4. यदि निविदाकार उपरोक्त शर्त का पालन करने में असमर्थ रहता/रहती है अथवा दी गयी दरों एवं शर्तों से मुकरता है तो उसे अपने प्रस्ताव को वापस लेने अथवा उसके नियमों एवं शर्तों को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी। Tenderer shall not be permitted to withdraw his offer or modify the terms and conditions thereof, in case tenderer fails to observe the above stipulation or backs out from his/her quoted rate and terms.
5. कार्य-क्षेत्र एवं निविदा में निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार नहीं दी गयी दरों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। संस्थान को किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

Quotation not meeting the scope of work and Terms and conditions stipulated in the tender is liable to be rejected. The Institute will have the right to accept or reject any offer without assigning any reason thereof.

6. ईएमडी के बगैर प्राप्त कोटेशन को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी और सुरक्षा जमा राशि पर ब्याज का कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। Quotations received without EMD shall be summarily rejected. No claim of Interest on EMD and Security deposit shall admissible.
7. संविदा सेवाओं के लिए आवश्यक सामग्री का प्रावधान एजेंसी द्वारा प्रशासन अधिकारी को सूचित करते हुए मुख्य द्वार पर उचित प्रविष्टि के साथ करना होगा। सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा के संबंध में प्रमाण के तौर पर प्रशासन अधिकारी का एक प्रमाणपत्र बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा। The material required for the contracted services shall be arranged/provided under intimation to the Administrative Officer with proper entry/IGP at the Main Gate. A certificate from Administrative Officer with respect to quality and quantity of material shall be submitted along with Bill as proof.
8. कार्य का दूसरों को हस्तांतरण: एजेंसी कार्य अथवा इसके किसी भाग को संस्थान के महानिदेशक की अनुमति के बिना किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं सौंपेगी अथवा हस्तांतरित नहीं करेगी। Subletting of Work: - The firm shall not assign or sublet the work or any part of it to any person without having within permission of the Director General of the Institute.
9. कार्य के संबंध में ठेकेदार केवल 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों, तथा जो पुलिस सत्यापन के बाद उपयुक्त पाए जाएं, को नियुक्त करेगा। किसी भी हालत में अवयस्क कामगार को नियुक्त करने की अनुमति नहीं होगी। For the purpose of work the contractor shall engage persons above 18 years of age only and who are found suitable, on the basis of police verification report. No minor workman would be permitted in any case.
10. ठेकेदार कार्मिकों को नाम, फोटो के साथ पहचान-पत्र जारी करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य-समय के दौरान उनके पास पहचान-पत्र हों। यह आवश्यक है कि वे निर्धारित वर्दी, जिसे ठेकेदार द्वारा प्रदान किया जाएगा, पहनेंगे। The contractor shall issues the identity passes with name, photograph to ensure that they carry the identity passes during working hours. It is essential that they wear the prescribed uniform, which will be provided by the contractor.
11. प्रभारी अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि समय-समय पर संविदा के अधीन कार्य के स्थल का दौरा करेंगे तथा संविदा की शर्तों का कोई भी उल्लंघन संविदा की समाप्ति, उचित राशि की कटौती अथवा अन्य किसी कार्रवाई, जो उपयुक्त लगे, में परिणत हो सकता है। ऐसी कटौती के संबंध में महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई का निर्णय अंतिम होगा। The Officer Incharge or his representative may from time to time inspect the site of work under the contract and any breach of terms of contract may result in termination of contract, deduction of reasonable amount or any other action as may be deemed fit. Decision of the Director General, VVG NLI with regard to such deductions will be final.
12. कानून/नियम/कार्य की प्रकृति के अधीन संस्थान के अंदर रखरखाव के प्रयोजन से आवश्यक सुरक्षा उपाय एवं सुविधाएं उसके द्वारा नियुक्त कामगारों को प्रदान करने की ज़िम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा किसी भी परिस्थिति में उसके लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा। कानून के अनुसार, उसके कार्यबल के किसी सदस्य को किसी भी मुआवजे का दायित्व ठेकेदार का होगा। The contractor shall be responsible for providing safety measures and amenities as required under law/rule/nature of work to workmen engaged by him for purpose of maintenance inside the Institute and under no circumstances shall the Institute be

- held liable for same. For compensation, if any payable to a member of his workforce the liability shall lie with the contractor as per law
13. संविदा के अंतर्गत रखरखाव की उक्त गतिविधि के लिए ठेकेदार द्वारा तैनात कार्यबल किन्हीं ऐसी गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा जो संस्थान अथवा इस्टेट के अंदर सरकारी संपत्ति के हितों के प्रतिकूल हों। The work force deployed by the contractor for the said activity of maintenance under the agreement of the contractor shall not indulge in such activities as per prejudicial to the interest of Govt. Property inside the Institute or estate.
 14. संस्थान के अंदर उसके द्वारा नियुक्त व्यक्तियों द्वारा सरकारी संपत्ति को किसी भी क्षति अथवा नुकसान के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा। यदि ठेकेदार द्वारा तैनात व्यक्ति किन्हीं ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाये जाते हैं जो संस्थान अथवा इस्टेट के अंदर सरकारी संपत्ति के हितों के प्रतिकूल हों, संस्थान को ऐसे व्यक्तियों के संस्थान में प्रवेश पर रोक लगाने अथवा नुकसान की लागत की वसूली तक संविदा के अधीन ठेकेदार को देय राशि को रोकने सहित नुकसान की भरपाई के लिए ठेकेदार से लागत वसूलने का अधिकार होगा। The work The contractor shall be responsible for any damage or loss of Govt. property inside the Institute, caused by the persons engaged by him under the contract. In case the persons engaged by the contractor indulge in such activities as are prejudicial to the interest of the Institute or result in loss to the property, the Institute will have the right to debar the entry of such persons into the Institute and take any such measures for realizing the cost of damages from the contractors apart from withholding the amount payable to the contractor under the contract till the realization of the cost of damage.
 15. संस्थान को संविदा को रद्द करने, संविदा के नियम एवं शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा। The Institute shall have the right to rescind the contract, modification, alteration of the terms and conditions of the contract.
 16. ठेकेदार द्वारा संविदा के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर ठेकेदार को सूचना दिए बिना संस्थान को संविदा रद्द करने का अधिकार होगा तथा दंड के साथ नुकसान की वसूली की जाएगी। Due to violation of the terms and conditions of the contract by the Contractor, the Institute shall have the right to rescind the contract without any notice to the contractor and shall recover the damages along with the penalty.
 17. (i) ठेकेदार द्वारा उपरोक्त कार्य के लिए नियुक्त कामगार केवल ठेकेदार के प्रबंधन के पूर्ण नियंत्रण के अधीन रहेंगे और सभी प्रयोजनों के लिए वे ठेकेदार के ही कर्मचारी होंगे। संविदा के लिए ठेकेदार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को संस्थान में सीधी भर्ती अथवा स्थायी रोजगार के लिए कोई अधिकार/दावा नहीं रहेगा। The workers employed on the above work by the Contractor shall be under the sole and whole Control of the management of the contractor and for all purposes, they will be the employees of the contractor only. The persons engaged by the contractor against the contract shall not have any right/claim whatsoever for direct recruitment of permanent employment in the Institute
(ii) ठेकेदार को मजदूरी/वेतन के लिए उन पर लागू भारत सरकार तथा रा. रा. क्षेत्र सरकार, दिल्ली के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार मजदूरी/वेतन एमडब्ल्यू एक्ट एवं पीडब्ल्यू एक्ट के प्रावधानों को लागू करना होगा। इसके अतिरिक्त कामगारों की यह नियुक्ति सभी प्रासंगिक श्रम कानूनों के अनुसार होगी। ठेकेदार को संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों तथा उसके संशोधनों का पालन करना होगा। श्रम विधान से संबंधित दूसरे कानूनों तथा उनके तहत बने नियमों का भी पालन करना होगा। The Contractor will have to comply with the provision of MW Act & PW Act wages/salaries as per

minimum wages act of the Govt. of India & Govt. of NCT Delhi as in force or enforced from time to time. Besides this engagement of workers should be in accordance with all the relevant labour laws. Contractor shall comply with the provision of the contract labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and any modification thereof. Any other law relating to labour legislation and rules made there under from time to time as applicable must be complied with.

(iii) ठेकेदार अपने कर्मचारियों को पीएफ, उपदान, छुट्टी वेतन, चिकित्सा देखभाल, सेवा बोनस, परिपक्वता लाभ जैसी सांविधिक देनदारियों का निर्वहन करेगा। The Contractor shall undertake to discharge all statutory liabilities of his employees such as PF, Gratuity, Leave Salary, Medical Care, Service Bonus, Maturity benefits etc.

18. ठेकेदार अपने कामगारों को किसी भी ट्रेड यूनियन गतिविधियों में शामिल होने अथवा संस्थान एवं इस्टेट के अंदर आंदोलन की अनुमति नहीं देगा। The Contractor shall not allow/permit his workers to participate in any trades union activities or agitation inside the Institute and estate.
19. यदि ठेकेदार मजदूरी/पिछले कम भुगतान का अगले महीने की 10 तारीख तक भुगतान करने में असफल रहता है तो ठेकेदार द्वारा नियुक्त कामगारों को संस्थान द्वारा मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। मजदूरी के भुगतान पर संस्थान द्वारा किए गए व्यय को दंड, ठेकेदार द्वारा समय पर भुगतान न की गयी मजदूरी का 25 प्रतिशत, के साथ ठेकेदार के बिलों से वसूला जाएगा। In case the contractor fails to pay the wages/short payment by 10th of following month then the INSTITUTE shall pay the wages to the workers employed by the contractor. The expenditure incurred by the Institute on account of payment of the wages to the workers shall be recovered from the bills of the contractor along with the penalty @ 25% of the wage not paid by the firm in time.
20. यदि ठेकेदार द्वारा कामगारों को मजदूरी के भुगतान के लिए तय तिथि/समय/स्थान पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है/ कम भुगतान किया जाता है तो संस्थान के पास संविदा को समाप्त करने का अधिकार होगा। Institute have right to terminate the Contract in case of non payment/short payment of the wages to the workers employed by the contractor on the date/time/place fixed in this regard.
21. ठेकेदार विभिन्न श्रम कानूनों यथा एमडब्ल्यू एक्ट, ईआर एक्ट, सीएल (आर एंड ए) एक्ट, बीओसीडब्ल्यू (आरई एंड सीएस) एक्ट, ईपीएफ तथा अन्य कानूनों के तहत सभी सांविधिक रिकॉर्ड एवं रजिस्टर बनाए रखेगा। Contractor shall maintain all statutory records and registration provided under various Labour Laws such as MW Act, ER Act, CL(R&A) Act, BOCW (RE & CS) Act, EPF and other Laws. Thus records are to be kept at the Institute during the working hours.
22. ठेकेदार को उसके द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एवं मजदूरी के भुगतान के समय लागू मजदूरी भुगतान अधिनियम के नियमों/अधिसूचनाओं/ आदेशों के तहत सांविधिक प्रावधानों के अनुसार मजदूरी का भुगतान करना होगा। ठेकेदार को मजदूरी का भुगतान संस्थान द्वारा इस प्रयोजन से निर्धारित तारीख और स्थान पर, संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधि के सामने करना होगा। The contractor shall ensure payment of the wages to the persons employed by him in terms of statutory provisions with reference to Minimum Wages Act and rules. Payment of Wages Act Rules notifications or orders in force at the time of disbursing wages. Contractor shall pay the wages on the date and at the place fixed by the INSTITUTE for this purpose in the presence of the authorized representative of INSTITUTE.

23. ठेकेदार को उसके द्वारा तैनात संविदा श्रमिकों से संबंधित मासिक रिपोर्ट हर महीने की तीन तारीख तक हर हाल में संस्थान को देनी होगी। ठेकेदार को नियुक्त कामगारों का रजिस्टर, वेतन-सह-हाजिरी रजिस्टर, दंड का रजिस्टर, संस्थान को हुई क्षति अथवा नुकसान का रजिस्टर, वेतन पर्ची एवं दुर्घटनाओं का रजिस्टर बनाए रखना होगा। उपरोक्त में से कोई भी रजिस्टर जब भी मांगा जाए, उसे दिखाना होगा। ऐसा न करने पर दंड लगाया अथवा संविदा को समाप्त किया जा सकता है। The contractor shall furnish monthly report to the INSTITUTE by 3rd of the every month without fail, on contract labourers deployed. The contractor shall maintain register of workmen employment, register of wage-cum-muster roll, register of fine, deduction for damage or loss to INSTITUTE, wage slip and register of accidents. He shall be liable to show any of the above documents as and when called upon and the failure of which can entail for fines and termination of the contract.
24. ठेकेदार को उसके द्वारा नियुक्त कामगारों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के तहत देय सांविधिक देनदारियों को जमा करना होगा। उसे पीएफ जमा करने का प्रमाण/चालान 15 तारीख से पहले देना होगा। ठेकेदार के बिल को संस्थान द्वारा भुगतान के लिए तभी तैयार किया जाएगा जब वह विभिन्न श्रम कानूनों के तहत देय सांविधिक देनदारियों यथा वेतन/पीएफ के विवरण प्रस्तुत करेगा। दिये गए जीएसटी के दावे की प्रतिपूर्ति उसे जमा करने का प्रमाण मिलने पर की जाएगी। Contractor shall deposit the Statutory dues under the EPF and Misc. provision Act regarding the workmen employed by him. He shall give the proof/challan of depositing the PF before 15th day of the month. Contractor's Bills shall be processed by INSTITUTE only when he submits the brief of the payment of the statutory dues of the workers under various Labour Laws such as Wages/PF etc. Claim for GST paid will be reimbursed only against proof of depositing the same.
25. ठेकेदार को भुगतान हेतु बिल के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ भी देने होंगे/ The following shall also be produced by the contractor along with the bill for making payment:
- (i) साप्ताहिक अवकाश दर्शाते हुए उपस्थिति पंजिका, जिसे संस्थान के अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो/Attendance sheet indicating weekly off duly countersigned by officer of the INSTITUTE
 - (ii) कामगारों को किया गया मजदूरी का भुगतान/ Payment to the workers
 - (iii) व्यक्तियों की सूची एवं फर्म द्वारा जमा कराई गयी ईपीएफ अंशदान की राशि सहित पीएफ चालान की प्रतिलिपि/ Copies of P.F. Challans along the list of persons and amount of EPF contribution deposited by the firm
 - (iv) फर्म द्वारा संविदा के लिए भुगतान किए गए जीएसटी का प्रमाण/ Proof of GST paid by firm against the contract
26. ठेकेदार को किसी भी प्रकार के जोखिम के लिए निम्नलिखित बीमा पॉलिसियाँ लेनी होंगी तथा उन्हें संविदा की अवधि पूरी होने तक वैध बनाए रखना होगा। The contractor will have to take out the following insurance policies to cover up all the risk and keep them valid till the successful completion of the contract
- (i) कर्मकार प्रतिकर/ Workman's compensation
 - (ii) अन्य पक्ष का जोखिम/देनदारी/ Risk/liability of the 3rd party
27. ठेकेदार को नियमों एवं संविधियों के उल्लंघन से उत्पन्न किसी भी मुकदमेबाज़ी के खिलाफ संस्थान को क्षतिपूर्ति करनी होगी। फर्म को सभी कानूनी कार्यवाहियाँ, जो भी आवश्यक हों, बिना संस्थान के लागत के, पूरी करनी होंगी। The Contractor should indemnify the Institute

- against any litigation arising from violation of rules and statues. The firm shall conduct all legal proceeding as may be necessary without any cost to the Institute.
28. ठेकेदार को 20 या उससे अधिक कामगारों को नियुक्त करने की अनुमति तभी दी जाएगी, जब वह सीएल (आर एंड ए) अधिनियम के तहत लाइसेंस लाएगा। Contractor shall be allowed to employ 20 or more than 20 workmen only when he brings Licence under CL (R & A) Act, 1970.
29. इन अधिनियमों अथवा अन्य संगत अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर संस्थान को संविदा के लिए देय ऐसी राशि को ठेकेदार के बिल से काटने का अधिकार होगा। ठेकेदार को उसके द्वारा संगत सांविधिक प्रावधानों का पालन न किए जाने पर संस्थान को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति करनी होगी। Owing to breach of any of the provisions of these acts or any other relevant acts on the part of the contractor, INSTITUTE will have the right to deduct such amounts, payable against any contract, from the bills of the contractor. The contractor shall indemnify such losses as are incurred by INSTITUTE resulting from his non compliance with the relevant statutory provisions.
30. जोखिम और लागत - यदि ठेकेदार संविदा का संतोषजनक निष्पादन नहीं कर पाता है तो संविदा को उसके जोखिम और लागत पर रद्द कर दिया जाएगा, तथा चूककर्ता ठेकेदार के जोखिम और लागत पर नई संविदा की जाएगी। Risk and Costs – In case of failure of the contractor to perform the contract satisfactory the same will be cancelled at his risk and cost and a fresh contract will be entered into at the risk and cost of the defaulting contractors.